

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट :-

श्रीमती चुन्नीदेवी पत्नी नारायणसिंह ग्राम
बोरीमादा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला
पाली (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मारवाड़
जंक्शन

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 96/2019

R.C.M.S. No. --2019/00270

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/9/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मारवाड़ जंक्शन ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 13/9/19 को पेश हो।</p>	<p>13/9-18 3/9/19</p>
13/9/19	<p>पत्रावली काज पेश हुई। से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है पुनः सर्व सम्बन्ध पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 4/10/19 को पेश हो।</p>	<p>जिला कलेक्टर, पाली</p>
4/10/19	<p>पत्रावली काज पेश हुई। तह मांजं द्वारा सूचना कार्यालय निजको हेतु आवेदन पत्रों को पेश करा गया। पत्रावली दिनांक 19/10/19 को पेश हो।</p>	<p>जिला कलेक्टर, पाली</p>
19/10/19	<p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) RTI Act 2005 के प्रावधानों के तहत लोक सूचना अधिकारी तह मांजं से दोबारा सूचना उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। तहसीलदार मांजं से सूचना अर्जित पत्रांक RTI/19/4092 दि. 3-10-19 के अपीलाण्ट को प्राप्त हुई इसका पत्रावली उनके विकास स्थल बोरीमादा निजवादी मंदिर जो से इस अपील के कार्यवाही शेष नहीं रहने से यह अपील स्वयंसेवक की जाती है। इस सूचना अर्ज की जाती है। पत्रावली सुनाकर फेरवरी की जाकर नमूदा है कर है।</p>	<p>जिला कलेक्टर, पाली</p>

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)